IndiaCode

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2008

सा.का.नि. 801(अ).—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभण**

(1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (सीएनजी के लिए नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क शुल्क तथा सीएनजी के कंप्रेशन प्रभार के लिए नेटवर्क शुल्क का निर्धारण) संशोधन विनियम, 2008 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **अनुसूची क के खण्ड 8 में संशोधन**

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (सीएनजी के लिए नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क शुल्क तथा सीएनजी के कंप्रेशन प्रभार के लिए नेटवर्क शुल्क का निर्धारण) संशोधन विनियम, 2008 के उप-खण्ड ख में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए, नामत: -

ख) समीक्षा अवधि में सामान्यत: पांच वित्तीय वर्षों को शामिल किया जाएगा;

3. **अनुसूची क के संलग्नक 2 के खण्ड 6 में संशोधन**

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (सीएनजी के लिए नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क शुल्क तथा सीएनजी के कंप्रेशन प्रभार के लिए नेटवर्क शुल्क का निर्धारण) विनियम, 2008 के खण्ड 6 में अनुसूची क के संलग्नक 2 में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, नामत: -

6) सीजीडी परियोजना की आर्थिक आयु के अंत तक 'रोलिंग आधार पर' नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ के लिए किसी अचल परिसंपत्ति पर विचार किया जाएगा, बशर्ते कि

इसे डी-कमीशन न किया गया हो। अचल परिसंपत्ति का डी-कमीशन होने पर इसकी बिक्री पर प्राप्त मूल्य या कबाड़ का प्राप्त मूल्य, यदि बेचा गया हो, या कोई उपयुक्त मानकीय मूल्य, यदि बेचा न गया हो, को डीसीएफ गणना में परियोजना अंतर-प्रवाह के रूप में विचार किया जाएगा। सीजीडी परियोजना के अंतिम वर्ष में अचल परिसंपत्ति का अवशिष्ट मूल्य, जो मूल लागत घटा संचित मूल्य ह्रास की राशि के बीच का अंतर होता है; को सीएनजी के लिए नेटवर्क शुल्क तथा कंप्रेशन प्रभार के लिए डीसीएफ गणना में परियोजना अंतर-प्रवाह के रूप में माना जाएगा।

[फा. सं. एस-प्रशा/II/8/2008-खण्ड-I]
रतन पी. वातल, सचिव

IndiaCode

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th November, 2008

G.S.R. 801(E).—In exercise of the powers conferred by Section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations, namely :—

1. **Short title and commencement.**

(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Network Tariff for City or Local Natural Gas Distribution Networks and Compression Charge for CNG) Amendment Regulations, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Amendment of clause 8 of the Schedule A.**

In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Network Tariff for City or Local Natural Gas Distribution Networks and Compression Charge for CNG) Regulations, 2008, in the sub-clause b), the following shall be substituted, namely-

b) review period shall normally follow a period of five financial years;

4593 GI/08-2

3. **Amendment of clause 6 of the Attachment 2 to Schedule A.**

In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Network Tariff for City or Local Natural Gas Distribution Networks and Compression Charge for CNG) Regulations, 2008, in the clause 6) of the Attachment 2 to Schedule A, the following shall be substituted, namely-

6) A fixed asset shall be considered for return on capital employed on a "rolling basis" till the end of the economic life of the CGD project, provided it is not de-commissioned. On de-commissioning of the fixed asset, the value realized on its sale or realized value of scrap if sold, or a reasonable normative value if not sold shall be considered as a project inflow in the DCF calculations. In the terminal year of the CGD project, the residual value of the fixed asset, which is the difference between the original cost less the amount of accumulated depreciation, shall be treated as a project inflow in the DCF calculations for network tariff and compression charge for CNG.

[F. No. S-Admn/II/8/2008-Vol. I]

RATAN P. WATAL, Secy.

IndiaCode